

बिहार कर्मचारी चयन आयोग  
पो0-भेटनरी कॉलेज, पटना-14

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,पटना के कार्यालय परिसर स्थित भवनों की साफ सफाई कार्य एवं परिचारी/दैनिक मजदूर उपलब्ध कराने हेतु निविदा आमंत्रण की सूचना।

ज्ञापांक -बि0क0च0आ0-प्र0-02/लेखा-74/2019

पटना दिनांक-.....

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,पटना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत एक संस्था है। वित्तीय वर्ष-2023-24 के लिए आयोग कार्यालय परिसर एवं परिसर स्थित भवनों की साफ-सफाई कार्य हेतु सफाई कर्मी तथा परीक्षा एवं कार्यालय से संबंधित कार्य हेतु परिचारी एवं दैनिक मजदूर की आवश्यकता है। इस हेतु प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों/संस्थानों से सेवा उपलब्ध कराने हेतु कुशल एवं अनुभवी वाहय एजेंसी की आवश्यकता है। उक्त कार्य हेतु निविदादाताओं से मुहरबंद लिफाफा (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफा में) आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक निविदाकर्ता आयोग के वेबसाईट-<http://bssc.bihar.gov.in> से निविदा डाउनलोड कर आयोग कार्यालय के पूछताछ काउन्टर अथवा निबंधित डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। निविदादाताओं को निविदा के साथ सचिव,बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के नाम से भुगतये रु-5,000/-का डिमांड ड्राफ्ट निविदा शुल्क के रूप में जमा करना होगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक-25.08.2023 को अपराह्न 4:00 बजे तक निर्धारित है। निर्धारित तिथि/समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा एकरारनामा की तिथि से दिनांक-31.03.2024 तक की अवधि के लिए प्रभावी होगा। चयनित निविदाकर्ता के कार्य संतोषप्रद रहने की स्थिति में एकरारनामा की अवधि विस्तार पर आयोग द्वारा विचार किया जा सकता है। निविदादाताओं को तकनीकी निविदा(अनुलग्नक-i) एवं वित्तीय निविदा (अनुलग्नक-ii) देना आवश्यक होगा। निविदा की शर्तें निम्न प्रकार है:-

निविदा की शर्तें:-

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,पटना में सफाई कार्य (House Keeping) हेतु प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों/संस्थानों से निम्नांकित शर्तों के तहत निविदा वित्तीय वर्ष-2023-2024 के लिए आमंत्रित की जाती है:-

01. वित्तीय एवं तकनीकी निविदा विहित प्रपत्र में अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में दिया जाना आवश्यक होगा एवं उस पर अलग-अलग वित्तीय एवं तकनीकी निविदा लिखा रहना चाहिए (विहित प्रपत्र संलग्न है)। वित्तीय एवं तकनीकी निविदा को एक बड़े मुहरबंद लिफाफे में दिया जाना आवश्यक होगा।
02. निविदादाता के तकनीकी निविदा के साथ तकनीकी निविदा में अंकित वांछित कागजातों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। कागजातों के संलग्न नहीं पाए जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी। बिना निविदा शुल्क के प्राप्त निविदा को भी अस्वीकृत कर दी जाएगी।
03. तकनीकी निविदा में निविदा शुल्क के रूप में 5000/-रु का डिमांड ड्राफ्ट जो सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के नाम के पक्ष में पटना में भुगतये हो, के साथ निम्न स्व-अभिप्रमाणित कागजात जमा करना होगा:-

(i). संस्था के निबंध से संबंधित प्रमाण पत्र।

(ii).G.S.T निबंधन प्रमाण पत्र एवं G.S.T जमा करने से संबंधित साक्ष्य।

(iii).विगत तीन वर्षों का Income Tax Return की प्रति।

(iv).ESI एवं EPF निबंधन प्रमाण पत्र।

(v).PAN कार्ड।

(vi).किसी भी सरकारी से Black Listed नहीं होने से संबंधित शपथ-पत्र।

(vii).कम-से-कम तीन सरकारी संस्थाओं से कार्य अनुभव प्रमाण पत्र।

(viii).E.M.D के रूप में सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग,बिहार,पटना के नाम से भुगतये रु-50,000/- (पचास हजार रुपये)का बैंक डिमांड ड्राफ्ट।

04. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2988/वि, दिनांक-23.03.2023 के शर्त के अनुसार:-

02/08/2023

- (i). मानव बल के श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एवं उस पर लागू वैधानिक देयता का भुगतान अनिवार्य होगा और इसे निविदा (Bid) का आधार नहीं बनाया जायेगा।
- (ii). निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क 3.85% अधिकतम 7% से इतर दर अंकित करने वाले निविदादाता की वित्तीय निविदा विचारणीय नहीं होगी।
- (iii). आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कर्मियों/मानव बल के मासिक पारिश्रमिक भुगतान (आधार संबंध खाते में) का साक्ष्य अगले माह के विपत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा विपत्र की राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। साथ ही वैधानिक कटौती/देयता (यथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान) की राशि जमा करने का साक्ष्य सहित त्रैमासिक प्रतिवेदन भी आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
05. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान नियमित रूप से हर माह करना होगा। यह कहकर कि विपत्र राशि के भुगतान के बाद कर्मियों का पारिश्रमिक का भुगतान दिया जायेगा मान्य नहीं होगा।
06. सफाई की शर्तें:-
- (i) निविदादाता को सफाई कर्मों की संख्या आवश्यकतानुसार बतायी जायेगी, जिसे आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (ii) सफाई कार्यों में उपयोग होने वाली सफाई सामग्रियाँ एजेंसी के द्वारा ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- (iii) सफाईकर्मों को सभी कार्य दिवस में सफाई का कार्य करना होगा। सफाईकर्मियों की कार्य अवधि रविवार एवं अवकाश के दिनों को छोड़कर सामान्यतः पूर्वाह्न 08:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक होगी। अवकाश के दिन में यदि कार्यालय खुलता है, तो उस दिन भी सफाई कार्य करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
- (iv) सफाईकर्मों की नियमित उपस्थिति आयोग द्वारा संधारित पंजी में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। उपस्थिति पंजी में आगमन एवं प्रस्थान (समय सहित) अंकित करते हुए हस्ताक्षर करना होगा।
- (v) उपस्थिति विवरणी के आलोक में चयनित/प्रतिष्ठानों/संस्थानों द्वारा अगले माह के 5वीं तारीख तक विपत्र समर्पित करना होगा।
- (vi) सफाईकर्मों को चयनित प्रतिष्ठानों/संस्थानों द्वारा अगले माह के 10वीं तारीख तक पारिश्रमिक का भुगतान करना आवश्यक होगा।
- (vii) सफाईकर्मियों को वांछित वर्दी में रहना अनिवार्य होगा तथा कर्मियों को वर्दी पर नाम पट्टिका भी लगानी होगी, जिसकी आपूर्ति एजेंसी के द्वारा की जाएगी।
- (viii) एजेंसी द्वारा सफाईकर्मियों को उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं की विस्तृत विवरणी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
07. परिचारी हेतु शर्तें:-
- (i) निविदादाता को परिचारी की संख्या आवश्यकतानुसार बतायी जायेगी, जिसे आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (ii) परिचारी को सभी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहना पड़ेगा। परिचारियों की कार्य अवधि सामान्यतः पूर्वाह्न 9:30 बजे से संध्या 6:00 बजे तक होगी। कार्य अवधि बढ़ने पर तथा अवकाश के दिन में यदि कार्यालय खुलता है, तो परिचारी को कार्यालय में उपस्थित रहना होगा, इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
- (iii) परिचारी की नियमित उपस्थिति आयोग द्वारा संधारित पंजी में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। उपस्थिति पंजी में आगमन एवं प्रस्थान (समय सहित) अंकित करते हुए हस्ताक्षर करना होगा।
- (iv) उपस्थित विवरणी के आलोक में एजेंसी द्वारा अगले माह के 5वीं तारीख तक विपत्र समर्पित करना होगा।
- (v) सफाईकर्मों को चयनित प्रतिष्ठानों/संस्थानों द्वारा अगले माह के 10वीं तारीख तक पारिश्रमिक का भुगतान करना आवश्यक होगा।

02/08/2023

- (vi) परिचारी को वांछित वर्दी में रहना अनिवार्य होगा तथा कर्मियों को वर्दी पर नाम पट्टिका भी लगानी होगी, जिसकी आपूर्ति एजेन्सी के द्वारा की जाएगी।
- (vii) एजेंसी द्वारा परिचारी को उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधाओं की विस्तृत विवरणी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

08. दैनिक मजदूर हेतु शर्त:-


- (i) श्रम एवं नियोजन विभाग, बिहार पटना द्वारा अधिसूचित निर्धारित न्यूनतम दर से कम दर मान्य नहीं होगा।
- (ii) निविदादाताओं को दैनिक मजदूर की संख्या आवश्यकतानुसार बतायी जायेगी, जिसे आयोग को ससमय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (iii) आवश्यकतानुसार मजदूर की आपूर्ति हेतु निर्गत कार्यादेश के आलोक में निर्धारित तिथि/समय पर मजदूर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (iv) दैनिक मजदूर की उपस्थिति आयोग द्वारा संधारित पंजी में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (v) उपस्थिति विवरणी के आलोक में एजेंसी द्वारा कार्य समाप्ति के एक सप्ताह के अंदर विपत्र समर्पित करना होगा।

09. अन्य सामान्य शर्त:-

- (i) परिचारी/सफाईकर्मि एवं दैनिक मजदूर अनुभवी एवं अनुशासित होना चाहिए।
- (ii) एजेन्सी का प्रतिनिधी प्रत्येक सप्ताह परिचारी, सफाई कर्मि एवं दैनिक मजदूर के कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु आयोग के सचिव/उप सचिव से आवश्यक समन्वय/मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।
- (iii) अयोग्य परिचारी/सफाईकर्मि/दैनिक मजदूर की सेवा किसी भी समय वापस करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (iv) सफाई हेतु सभी आवश्यक सामग्रियाँ यथा-झाडू(नारियल और फूल), एसिड, नेफ्थलीन-बॉल, पोछा, कोलिन, ब्लीचिंग पाउडर, विम पाउडर, सर्फ, फिनाईल, सीटा, दो सूती कपड़ा, प्लास्टिक बाल्टी (बड़ा), नाली काछने वाली कुदाल आदि एजेन्सी के द्वारा ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- (v) सफाई कर्मियों द्वारा फ्लोर, बाथरूम, दरवाजा, खिड़की, टेबुल, कुर्सी परिसर के आगे-पीछे( लाबी, कोरिडोर एवं हॉल सहित) की सफाई, शर्तों के अनुरूप करनी होगी।
- (vi) परिचारी/सफाई कर्मि/दैनिक मजदूर का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर विपत्र से समानुपातिक राशि की कटौती व एकरारनामा रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

- 10. निविदा का मूल्यांकन:- निविदा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् प्राप्त दरों के आधार पर एक तुलनात्मक विवरणी में सबसे कम दर वाले एजेंसी का चयन किया जायेगा। तत्पश्चात् आयोग एवं चयनित एजेंसी के बीच एकरारनामा किया जायेगा।
- 11. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- 12. निविदा स्वीकृति के उपरांत चयनित एजेंसी को रू-1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) का किसी व्यवसायिक बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट जो सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के नाम से पटना में भुगतये हो, Performance Security के रूप में जमा करना होगा, जो कि निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् एजेंसी को वापस कर दिया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुरूप इच्छुक प्रतिष्ठान/संस्थान/एजेन्सी सामाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से दिनांक-08.08.2023(मंगलवार) तक रू-50,000/- (पचास हजार रुपये) मात्र Earnest Money Deposit के रूप में सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के नाम से भुगतये डिमांड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न कर निविदा समर्पित करेंगे। निविदा खोलने की तिथि-25.08.2023 को अपराह्न 5:00 बजे सभी निविदादाता उपस्थित रहेंगे।

  
02/08/2023

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।